## भारत सरकार/GOVT. OF INDIA

Hratha sruit

भारतीय सर्वेक्षण विभाग/SURVEY OF INDIA निदेशक का कार्यालय/Office of Director मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केंद्र Madhya Pradesh Geo-Spatial Data Centre 'सर्वेक्षण सदन'/'Sarvekshan Sadan' एस.वी.आई. चौक, विजयनगर/SBI Chowk, Vijaynagar जबलपुर - 482002 (म.प्र.)/Jabalpur — 482002 (M.P.) फोन/फैक्स Phone/Fax 0761-2643182 ईमेल/E-mail: mp.gdc.soi@gov.in



No.Adm.- 6903/37-G-9

Dated- 09 - 11 -2022.

 अधिकारी सर्वेक्षक से अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति / Ad-hoc Promotion of Officer Surveyor to the post of Superintending Surveyor.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षकों को पूर्णतः तदर्थ आधार पर, पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो अथवा अगले आदेशों तक, अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर वेतन मैट्रिक्स के पे लेवल-11(पूर्व संशोधित वेतन बैंड-03, रू. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रू. 6600/-) में पदोन्नित प्रदान की गयी। / The Competent authority has approved the promotion of following Officer Surveyors to the post of Superintending Surveyors in Level-11 of Pay Matirx (pre-revised in PB-03 of Rs. 15600-39100 +GP of Rs. 6600) purely on Ad-hoc basis for a period of one year from the date of assuming the charge or retirement whichever is earlier and until further orders:-

क्र. संख्या /Sl.No.	नाम व पदनाम / Name & Designation	तदर्थ पदोन्नति पर पद/ Post on ad-hoc Promotion	कार्यग्रहण की तिथि / Date of assuming the charge	टिप्पणियाँ / Remarks
01	श्री एन. के. गुप्ता, अधिकारी सर्वेक्षक / Shri N. K. Gupta, Officer Surveyor	अधीक्षक सर्वेक्षक / Superintending Surveyor	22-09-2022 (F/N)	-
02	श्री निमरोद तिग्गा, अधिकारी सर्वेक्षक / Shri. Nimrod Tigga, Officer Surveyor	अधीक्षक सर्वेक्षक / Superintending Surveyor	22-09-2022 (F/N)	- 1

- 1. उपरोक्त अधिकारियों को तदर्थ पदोन्नित पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ. आर. 22(I) (क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा / The Officers have to submit an option for fixation of pay on their ad-hoc Promotion under rule 22(I)(a)(1).
- 2. यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक या दंड प्रक्रिया संबंधी मामला लंबित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी नहीं माने जाएंगे / If any Vigilence/disciplinary proceedings/punishment etc. are pending against the above incumbents then the above mentioned orders will not be affected.
- 3. उपरोक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नित पर उनके वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष, एम.पी.जी.डी.सी., जबलपुर द्वारा किया जायेगा एवं वेतन निर्धारण पर होने वाला अतिरिक्त व्यय इस केन्द्र को वर्ष 2022-23 में आवंटित बजट राशि से पूरा किया जायेगा एवं उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा / Pay will be fixed by Head of Office, MPGDC in r/o above promoted officers and the expenditure involved will be met from within the sanction grant of this GDC for the year 2022-23 and debited to the appropriate Head of Account.
- 4. उपरोक्त अधिकारी सर्वेक्षकों की तदर्थ पदोन्नित भारत के महासर्वेक्षक के पत्रांक सी-6156/853-एस.एस. दिनांक 20/21.09.2022 के पैरा (2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा / Promotion of the Officer Surveyors will be subjected to the conditions mentioned in para (2) of SG's letter No. C-6156/853-SS dated 20/21-09-2022.

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के पत्रांक सी-6156/853-एस.एस. दिनांक 20/21.09.2022 SG's letter No. C-6156/853-SS dated 20/21-09-2022. 2. प्रशासन को मजबूत बनाना- 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी अधिकारी के पुनरीक्षण मामलों पर पुनर्विचार / Strengthening of Administration - Review cases of Government Servant on attaining the age of 50 / 55 years or completing 30 years of qualifying service:

मंत्रालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति द्वारा इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी को उनके द्वारा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है। / The Special committee constituted at Ministry to review the subject case, the following Officer of this Office is recommended for retaining in Government Service on completion of 50 years of age.

क्र.सख्या / Sl. No.	नाम / Name	पदनाम / Designation	टिप्पणियाँ / Remarks
01	श्री संदीप श्रीवास्तव /	निदेशक /	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर /
	Shri Sandeep Shrivastava	Director	On completion of 50 years of age

प्राधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी.-6450/854-आर (गजटेड-निदेशक) दिनांक 25-10-2022 Authority:- SG's Letter No.C.-6450/854-R (Gazetted-Director) Dated 25-10-2022

3. प्रशासन को मजबूत बनाना- 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा प्री करने वाले सरकारी अधिकारी के पुनरीक्षण मामलों पर पुनर्विचार / Strengthening of Administration - Review cases of Government Servant on attaining the age of 50 / 55 years or completing 30 years of qualifying service:

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय द्वारा गठित विशेष पुनरीक्षण समिति द्वारा इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी को उनके द्वारा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है। /The Special committee constituted at Surveyor General Office to review the subject case, the following Officer of this Office is recommended for retaining in Government Service on completion of 50 years of age.

क्र.सख्या / Sl. No.	नाम / Name	पदनाम / Designation	टिप्पणियॉ / Remarks
01	श्री देवेन्द्र कुमार यादव /	अधिकारी सर्वेक्षक /	50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर /
	Shri Devendra Kumar Yadav	Officer Surveyor	On completion of 50 years of age.

प्राधिकारः-Authority:-8/9-09-2022 8/9-09-2022 8/9-09-2022 8/9-09-2022

4. प्रशासन को मजब्त बनाना- 50 / 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के पुनरीक्षण मामले / Strengthening of Administration - Review cases of Government Servant on attaining the age of 50 / 55 years or completing 30 years of qualifying service:-

मध्य प्रदेश भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र में गठित विभागीय पुनरीक्षण समिति द्वारा निम्नलिखित अराजपत्रित ग्रुप 'सी' (पूर्व में ग्रुप 'डी') कर्मचारी को उनके द्वारा 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा में बने रहने के लिए योग्य/उपयुक्त पाया गया है। / The committee constituted at MPGDC to review the subject case, the following non gazetted Group-'C' (erstwhile Group 'D') employee of this GDC is recommended for retaining in Government Service on completion of 55 years of age.

क्र.सख्या / Sl. No.	नाम / Name	पदनाम / Designation	टिप्पणियाँ / Remarks
01	श्री रमेश नारायण पाल आत्मज श्री रामकिशोर पाल / Shri Ramesh Narayan Pal S/o Shri Ramkishor Pal	एम.टी.एस. / MTS	55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर / On completion of 55 years of age.

प्राधिकार:-Authority:-MPGDC, Jabalpur Office Order No.C.-69/37-G-10 Dated 10.10.2022

## 5. क्रूणाम्लक आधार पर स्थानान्तरण / Transferred on Comapssionate grounds:

इस जीडीसी में निम्नलिखित कर्मचारी स्थानान्तरण पर पदस्थ हुए / The following employee has been transferred to this GDC.

क्र.सख्या / Sl.No.	नाम व पदनाम / Name & Designation	किस कार्यालय से स्थानान्तरित हुए / Office from where transferred	कार्यभार ग्रहण की तिथि / Date of Joining	टिप्पणियाँ / Remarks
01	कुमार आनन्द, सर्वेक्षक / Kumar Anand, Surveyor	ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, देहरादून / Geodetic & Research Branch, Dehradun	07-09-2022 (A/N)	_

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक स्था.1-436/1466-सर्वेक्षक दिनांक 28.01.2022

Authority:- SG's letter No. E1-436/1466-Surveyor Dated 28.01.2022

## 6. त्यागपत्र/Resignation.

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी का त्यागपत्र उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया / Resignation of the following employee of this office with effect from the date shown against his name, accepted by the Competent Authority:-

क्र.सं. / SI.NO.	नाम / Name	पदनाम / Designation	त्यागपत्र स्वीकार करने की तिथि / Date of accepting of resignation	टिप्पणियाँ / Remarks
01	श्री गौरव वर्मा / Shri Gaurav Verma	एम.टी.एस / M.T.S.	28-10-2022 (A/N)	

प्राधिकारः-

एमपीजीडीसी कार्यालय आदेश सं.- 75 /5-A-1464 (Gaurav Verma) दिनांक 28.10.2022

Authority:-

MPGDC Office Order No.- 75 /5-A-1464 (Gaurav Verma) Dated 28.10.2022

(संदीप श्रीवास्तव)/ Sandeep Shrivastava निदेशक / Director

प्रतिलिपिः-

## ईमेल द्वारा / स्थानीय वितरण

- 1 भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
- 2 अपर महासर्वेक्षक, मध्य क्षेत्र, जबलपुर को सूचनार्थ।
- उप्रभारी, वेबसाईट मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई.टी.सेल.), महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4 क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, कोलकाता को सूचनार्थ।
- 5 स्थापना एवं लेखाधिकारी, एमपीजीडीसी, जबलपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6 कार्यालय अधीक्षक, लेखा/आहरण/पेंशन/प्रशासन को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।
- 7 सहायक भंडार अधिकारी/तकनीकी अधिकारी/गोपनीय अनुभाग, एमपीजीडीसी को सूचनार्थ।